उत्तर प्रदेश शासन
रेशम विकास अनुभाग-1
संख्या-सी0एम0-30/2016/12/74-1-2016-08(अधि0)/2015
लखनऊ:: दिनांक 26 अक्टूबर, 2016

कार्यालय ज्ञाप

श्री भूषण त्यागी, पुत्र स्व0 श्री देवीशरण त्यागी, ग्राम व पोस्ट-झड़ीना, गढ़मुक्तेश्वर जनपद गाजियाबाद को रेशम विकास अनुभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-सी0एम0-12/74-1-2016-08(अधि0)/2015 दिनांक 21 मई, 2015 के द्वारा कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से एक वर्ष के लिए रेशम विकास विभाग, उ0प्र0 शासन का सलाहकार नामित किया गया था। तत्क्रम में श्री त्यागी, द्वारा उक्त पद का कार्यभार दिनांक 25-05-2015 के पूर्वान्ह में ग्रहण किया गया था, जो दिनांक 24-05-2016 को समाप्त हो गया है।

2- श्री भूषण त्यागी, मा0 सलाहकार, रेशम विकास विभाग का कार्यकाल दिनांक 24-05-2016 से 01 वर्ष बढ़ाए जाने की एतदद्वारा स्वीकृत प्रदान की जाती है।

श्री राज्यपाल की आज्ञा से,

(मुकुल सिंहल)
प्रमुख सचिव।

संख्या-सी0एम0-30/2016/12(1)/74-1-2016 तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) श्री भूषण त्यागी, पुत्र स्व0 श्री देवीशरण त्यागी, ग्राम व पोस्ट-झड़ीना, गढ़मुक्तेश्वर जनपद गाजियाबाद।
(2) महालेखाकार प्रथम उ0प्र0, इलाहाबाद।
(3) प्रमुख सचिव, महामहिम राज्यपाल, उ0प्र0 लखनऊ।
(4) महामहिम राज्यपाल के निजी सचिव को राज्यपाल महोदय के अवगतार्थ।
(5) समस्त मंत्रीगण/राज्यमंत्रीगण के निजी सचिव, उ0प्र0 शासन।
(6) प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश शासन।
(7) स्टाफ आफिसर मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
(8) स्टाफ आफिसर कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 शासन।
(9) समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उ0प्र0 शासन।
(10) गोपन अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन।
(11) प्रमुख सचिव, गृह विभाग उत्तर प्रदेश शासन।
(12) समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उ0प्र0 शासन।
(13) प्रमुख सचिव, सचिवालय प्रशासन, उ0प्र0 शासन।
(14) सचिव, राज्य सम्पत्ति विभाग, उ0प्र0 शासन।
(15) श्री अजय सिंह, विशेष सचिव, उ0प्र0 शासन।
(16) राज्य सम्पत्ति अधिकारी, उ0प्र0 शासन।
(17) निदेशक, रेशम निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
(18) निजी सचिव, प्रमुख सचिव/विशेष सचिव, रेशम विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
(19) इरला चेक अनुभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
(20) अनुभागीय आदेश पुस्तिका/कार्यालय प्रति/गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(हरिशंकर भट्ट)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in